राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 20 सितम्बर, 1984

क्रमांक **1151-ज-II-84/26049**.—श्री कन्ही राम, पुत्र श्री नोन्दा राम, गांव जोनावास, तहसील व जिला महेन्द्रगढ़, की दिनांक 19 नवम्बर, 1983 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1) तथा 3(1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री कन्ही राम की मुब्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 435-ज-(I)-78/11024, दिनांक 17 अप्रैल, 1978 तथा अधिसूचना क्रमांक 1789-ज(1)-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती चान्दबाई के नाम खरीफ, 1984 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

क्रमांक **1146-ज-II-84/25333**.—श्री राम सरूप, पुत्र श्री नत्थू राम, गांव दूबलधन (हाल जहाजगढ़), तहसील झज्जर, जिला रोहतक, की दिनांक 3 मई, 1983 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1) तथा 3(1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राम सरूप की मुब्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2278-ज-II-72/32552, दिनांक 30 अगस्त, 1972 तथा अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती [illegible] कौर के नाम खरीफ, 1982 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

क्रमांक **1149-ज-(II)-84/25357**.—श्री नेत राम, पुत्र श्री [illegible], गांव सिरिया, तहसील झज्जर, जिला रोहतक, की दिनांक 27 सितम्बर, 1983 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध जागीर पुरस्कार अधिनियम 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1) तथा 3(1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री नेत राम की मुब्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1149-ज-एन-III-66/2830, दिनांक 19 फरवरी, 1966, अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 तथा 1789-जे-(I)-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती [illegible] के नाम रबी, 1984 से 300 रुपए वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

क्रमांक **1113-ज-I-84/25333**.—श्री बैसाखा सिंह, पुत्र श्री [illegible] राम, गांव जनसुआ, तहसील व जिला अम्बाला, की दिनांक 1 नवम्बर, 1977 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1) तथा 3(1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री बैसाखा सिंह की मुब्लिग 200 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1550-र-III-69/10232, दिनांक 30 अप्रैल, 1969 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-I-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती [illegible] कौर के नाम खरीफ, 1978 से खरीफ, 1979 तक 200 रुपये तथा रबी, 1980 से 350 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

दिनांक 21 सितम्बर, 1984

क्रमांक **1150-ज(II)-84/25153**.—श्री भालु राम, पुत्र श्री मुरारी सिंह, गांव सुनारी कलां, तहसील व जिला रोहतक, की दिनांक 26 सितम्बर, 1983 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री भालु राम की मुब्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 5472-आर-4-67/3788, दिनांक 24 अक्तूबर, 1967,

अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 तथा 1789-जे-(I)-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती खजानी देवी के नाम रबी, 1984 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

टी० आर० बैलूर,

अवर सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग।

FORESTS DEPARTMENT

The 21st September, 1984

No. 3310-Ft-II-84/12577.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Haryana Forest Development Act, 1983, the Governor of Haryana is pleased to appoint the following as non-official members of the Haryana Forest Development Board with immediate effect :—

(1) Shri Ram Parshad, Ex-MLA, Rewari (Mohindergarh).

(2) Comrade Nihal Singh, son of Shri Chani Lal, V. & P. O. Mahuvala, district Hissar.

2. The term of the office of the non-official members shall be one year from the date of assuming the charge. The Government may, however, curtail the period of tenure at any time or extend it from time to time.

3. The Headquarters of the Board will be at Chandigarh.

(4) The rate of T. A./D. A. of the non-official members will be the same as applicable to Grade-I officers of the State Government drawing Rs. 2,000 and above but less than Rs. 2,400 per mensem. The expenditure involved will be met out from the sanctioned budget grant.

(5) This issues with the concurrence of Finance Department conveyed,—*vide* their U. O. No. 2457-3-FD-III-84, dated 11th September, 1984.

No. 3008-Ft-II-84/12613.—The Governor of Haryana is pleased to notify the result of the Departmental Examinations of the Officers of the Forests Department, Haryana, held in the month of June, 1984 as under :—

Serial No.	Name of Officer	Subject	Result
	Sarvshri		
1	Phool Chand, H.F.S.	Forest Law	Fail
2	Jeet Ram, I.F.S.	Ditto	Fail
3	Om Parkash Kaushik, H.F.S.	Land Revenue	Fail
4	Vinod Kumar Jhajhria, H.F.S.	Ditto	Pass
5	Maya Singh, H.F.S.	Ditto	Pass
6	Vinod Kumar Jhajhria, H.F.S.	Procedure and Accounts	Pass
7	Jeet Ram, I.F.S.	Ditto	Fail
8	S. S. Mann, HFS	Hindi	Pass

G. L. BAILUR,

Financial Commissioner and Secretary to Government, Haryana, Forests Department.